1/81318/2022

**उत्तराखण्ड शासन**
**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–02**
e-file/comp. no. 20985 /2022
**देहरादूनः दिनांक** 06 **दिसम्बर, 2022**

**अधिसूचना**
**(प्रकीर्ण)**

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

**उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022**

| | |
|---|---|
| **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** | **1. (1)** इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।<br>**(2)** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| **नियम 15 का संशोधन** | **2.** उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 के नियम 15 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थातः–<br>परन्तु यह कि चयन वर्ष 2022–23 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंको से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित रीति से चयन किया जायेगा–<br>**1.** नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर 80 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी और 20 प्रतिशत पुरूष अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।<br>**2.** चयन हेतु कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंको से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए चयन किया जायेगा।<br>**3.** सीधी भर्ती उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संपादित की जायेगी।<br>**4.** उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड सीधी भर्ती के लिये ऑनलाइन एवं ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञप्ति जारी करेगा। |

Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| | **5.** उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगा।<br><br>**6.** अभ्यर्थी को डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर ही अंक देय होंगे।<br><br>**7.** उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, डिप्लोमा तथा डिग्रीधारक अभ्यर्थियों (महिला/पुरूष) की योग्यताक्रम में, जैसा कि डिप्लोमा/डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, पृथक–पृथक सूचियां तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उनके नाम, अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम पहले, के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची केवल एक चयन वर्ष (2022–23) के लिए मान्य होगी। उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड सूची में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के नाम योग्यता क्रम में, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगाः<br><br>परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2022–23 के उपरान्त उक्त परन्तुक में दी गयी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगीः<br>परन्तु यह और भी कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 15 में दिये गये उपबंध को उक्त परन्तुक में दी गयी प्रक्रिया के अनुपालन हेतु केवल चयन वर्ष 2022–23 के लिए इस सीमा तक अधिक्रमित किया जाता है। |

आज्ञा से,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 06-12-2022 13:42:11

**(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)**
सचिव (प्रभारी)।

Scanned by CamScanner